

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम



तकनीकी कर्मचारियों से संबंधित कार्य और जिम्मेदारियां

अधीक्षक अभियंता / मानव संसाधन
द.ह.बि.वि.नि., विद्युत सदन,
विद्युत नगर, हिसार
हरियाणा

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित तकनीकी कर्मचारियों के कार्य और जिम्मेदारियां
विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	संदर्भ की पृष्ठ संख्या
1	कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ अभियंता-। के कार्य और जिम्मेदारियां	1 से 4
2.	कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ अभियंता-। के साथ कार्यरत सहायक फोरमैन (ए.एफ.एम.) के कार्य और जिम्मेदारियां	5 से 6
3.	लाइनमैन (नियमित आधार पर) के कार्य और जिम्मेदारियां	7 से 9
4.	सहायक लाइनमैन (नियमित आधार पर) के कार्य और जिम्मेदारियां	10 से 12
5.	सहायक लाइनमैन (आउटसोर्स/अनुबंध आधार पर) के कार्य	13
6.	एस.ए. के कार्य (नियमित)	14
7.	एस.ए. के कार्य (आउटसोर्स)	15
8.	सहायक सब-स्टेशन अटेंडेंट (ए.एस.एस.ए.) के कार्य और जिम्मेदारियां	16 से 20
9.	सब-स्टेशन सहायक (एस.एस.ए.) के कार्य और जिम्मेदारियां	21से 25

कनिष्ठ अभियंता / कनिष्ठ अभियंता- । के कार्य और जिम्मेदारियां

1. आर.ए.पी.डी.आर.पी., उपमंडल के तहत प्रणाली में एस.सी.ओ. को अपडेट करना चाहिए और गैर आर.ए.पी.डी.आर.पी. के मामले में उपभोक्ता क्लर्क को सर्विस कनेक्शन आदेश तीन कार्यदिवस के भीतर वापस करना चाहिए। निगम संपत्ति का उपयुक्त नक्शा भी (एल.टी. खम्भें/डी.टी./एफ./एच.टी. खम्भें आदि) तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।
2. आर.ए.पी.डी.आर.पी., उपमंडल के लिए सी.बी.ओ. से संपर्क करने के बाद प्रणाली में पी.डी.सी.ओ., एम.सी.ओ., आर.सी.ओ., एस.जे.ओ.एस. को अपडेट करना चाहिए और जारी करने की तारीख के एक सप्ताह के भीतर गैर-आर.ए.पी.डी.आर.पी., उपमंडल के मामले में आवश्यक अनुपालना के बाद वाणिज्यिक सहायक को पी.डी.सी.ओ., एम.सी.ओ., आर.सी.ओ. और एस.जी.ओ. वापस करना चाहिए। प्रणाली में निगम संपत्ति को भी अपडेट करना चाहिए।
3. 'सेवा का अधिकार अधिनियम' के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
4. उपमंडल अधिकारी परिचालन/सी.बी.ओ./सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार या अपनी आई.डी. का प्रयोग करते हुए प्रणाली से इसे निकालकर /राजस्व अनुभाग से सूची प्राप्त करने के बाद बकायादारों से बकाया राशि वसूलने के लिए जिम्मेदार होंगे।
5. बिजली चोरी पकड़ने, खराब मीटरों को बदलने, मीटरों को स्थानांतरित करने/सील लगाने, जली हुई ए.सी.एस.आर./केबल को बदलने और एल.टी. आर्मड केबल लगाने आदि जैसे उपायों को अपनाकर निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार लाइन लॉस को कम करने की जिम्मेदारी होगी।
6. एम.आर.ए. (मीटर रीडिंग एजेंसी) कार्यों में शामिल होकर और अगले बिलिंग चक्र से पहले एजेंसी और सी.बी.ओ. द्वारा उपलब्ध करवाई गई आपत्ति सूची में दी गई कमियों को ठीक करेगा।
7. सी.ए.-21 और सी.ए.-22 यानि रसीद के रिकॉर्ड और प्रक्रिया के अनुसार बिजली मीटर जारी करने का रिकॉर्ड रखेगा और नए बिजली मीटर ट्रेकिंग प्रणाली को अपडेट करने के लिए सी.बी.ओ. और एम.एंड पी. विंग को अपेक्षित सूचना प्रदान करेगा। आगे, कर्मचारी को समय पर एम.एंड पी. प्रयोगशाला के माध्यम से स्टोर को खराब मीटरों की वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए और मासिक आधार पर इससे संबंधित प्रमाण-पत्र तैयार करना चाहिए।
8. प्रक्रिया अनुसार मीटर सील रिकॉर्ड (एम.एस.आर.) का रिकॉर्ड रखेंगे।
9. शैड्यूल तारीख के अनुसार सभी अस्थाई कनेक्शनों की मासिक रीडिंग लेंगे और जमा करवाएंगे तथा इसका उचित रिकॉर्ड रखेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे इन सभी मीटर ठीक कार्य कर रहे हैं और सभी मीटरों पर सील लगी है।
10. निर्धारित श्रेणियों यानि डी.एस./एन.डी.एस./ए.पी. और एल.टी. के उपभोक्ता परिसरों पर लगे बिजली मीटरों की नियमित आधार पर जांच करेंगे और इनका उचित रिकॉर्ड रखेंगे।

11. निगम के दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी कनेक्शन को जारी करने, तकनीकी आधार पर लाइन स्थानांतरित करने, सब-स्टेशन, सब-मेन, मेन की क्षमता वृद्धि करने, ट्रांसमिशन/वितरण प्रणाली, एल.डी. प्रणाली के रख-रखाव के लिए सभी वार्षिक आकलन, एम.एंड आर. आकलन, विशेष आकलन तैयार करेंगे।
12. नियमों के अनुसार एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. लाइनों, विभिन्न प्रतिस्थापनों की पैट्रोलिंग की जिम्मेदारी होगी और इससे संबंधित समस्याओं को समय पर दुरुस्त करके पैट्रोल बुक में कमियों का रिकॉर्ड रखेंगे :-
 - क) क्षतिग्रस्त या खराब इन्सुलेटर।
 - ख) जले हुए कंडक्टर, गायब हुई अर्थ वायर, गार्डिंगस, इन्सुलेटरस पिनस, स्टील आइटम, केबल।
 - ग) लाइनों का बेतरतीब झुका होना।
 - घ) झुके हुए खम्भे।
 - ङ.) टावर और खम्भों के आधार से सटे या कोई व्यवधान।
 - च) वृक्षों की खतरनाक शाखाएं।
 - छ) बिना इन्सुलेटर के स्टे वायर/ढीली स्टे वायर।
 - ज) निगम के मौजूदा निर्देशों के अनुसार निगम की लाइनों के निकट अन्य विभाग या किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित होर्डिंग, केबल टी.वी., इंटर नेट लाइनों या अन्य एरियल केबल को हटाना।
 - झ) टूटी हुई तार या कोई अन्य कमी।
 - ड) उचित स्पेन लंबाई, ढीली ए.सी.एस.आर. व जी.एस.एल. तार का रख-रखाव।
 - त) आई.आर. वैल्यू, ज्वाइंटिंग कीट और अर्थिंग की स्थिति आदि के लिए एच.टी. यू./जी. केबल।
13. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डी.टी.ज. की क्षति दर में कमी लाने के लिए जिम्मेदार होंगे और डी.टी. का उचित रख-रखाव यानि नियमित आधार पर एच.टी./एल.टी. फ्यूज के उचित आकार का प्रावधान, जली हुई/खराब केबल को बदलना, लोड संतुलन नियमित रूप से सुनिश्चित करेंगे। कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि डी.टी. की लोडिंग स्थिति नए कनेक्शन जारी करते समय या अन्यथा डी.टी. के स्वीकृत लोड से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक सप्ताह के भीतर खराब/अतिरिक्त डी.टी. को वापस करना सुनिश्चित करेंगे।
14. उचित सुरक्षा औजार और उपकरण के प्रयोग से संबंधित मार्गदर्शन/जांच करते हुए साइट पर कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। सिंगल लाइन नक्शा तैयार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि पी.टी.डब्ल्यू. के समय आवश्यक चेतावनी प्रदान की गई है और इसे सब-स्टेशन पर प्रदर्शित किया गया है।
15. खतरनाक/दुर्घटनाग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करते समय उपचारात्मक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होगी।

16. यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा रख-रखाव शैड्यूल की पालना की जाती है और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब-स्टेशनों के सही संचालन के लिए उचित समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
17. शिकायत केन्द्रों का नियमित दौरा, शिकायत रजिस्टर की जांच, एल.डी. प्रणाली के उचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करना, ब्रेक डाउन, शिकायत की साइट को स्वयं निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगे और बार-बार दुर्घटना से बचने के लिए उपचारात्क बचाव करने के लिए उपमंडल/उप-कार्यालय के प्रभारी को इसकी रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी होगी।
18. टी.एंड पी. और इसके रिकॉर्ड के उचित रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।
19. स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार सामग्री का आहरण, मानक फॉर्मेट पर स्थाई निर्देशों के अनुसार तकनीकी प्राक्कलन को तैयार करने और सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे तथा सामग्री और सुरक्षा के दृष्टिगत अत्यधिक किफायती तरीके से तकनीकी प्राक्कलन के अनुसार कार्य निष्पादन करने और सुरक्षा निगरानी में इसका भंडार करने के लिए जिम्मेदार होंगे और सामग्री तथा श्रम शक्ति का सही उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
20. निर्देशों के अनुसार जब्ती रिपोर्ट आदि तैयार करने और कनेक्टिड लोड की रिकॉर्डिंग और चोरी के मामले में काम करने के उचित ढंग की रिकॉर्डिंग सहित साइट पर जांच के बाद एल.एल.-1 चैकिंग रिपोर्ट को उचित तरीके से भरने के लिए जिम्मेदार होंगे।
21. निम्नलिखित रिकॉर्ड के उचित रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे :-
 - क) फार्म-4 में भंडार से सामग्री निकलवाना।
 - ख) सी.ए.-104 में खराब सामग्री।
 - ग) ई.एम.बी. में साइट पर कार्य निष्पादन।
 - घ) उपकरण रख-रखाव रजिस्टर (ई.एम.आर.) में सभी विद्युत उपकरणों का रख-रखाव।
22. विभागीय या किसी अन्य अनुबंध एजेंसी के माध्यम से निष्पादित होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए जारी की गई/निकलवाई गई सामग्री के उचित लेखाकन/निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।
23. दुरुपयोग से बचने के लिए निगम भंडार में कबाड़/सामग्री/संपत्ति को वापस करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
24. आधारभूत कार्यों का पर्यवेक्षण करें ताकि उचित गुणवत्ता सुनिश्चित हो और सामग्री के बिल की वास्तविक निष्पादित मात्रा का रिकॉर्ड लिया जाएगा और रिकॉर्ड की पैमाईश की जाएगी। वास्तविक साइट निष्पादन के अनुसार ठेकेदार के बिलों को सत्यापित करेंगे।
25. वाहनों के एम.एंड आर. सहित इसके उचित रिकॉर्ड के रख-रखाव की जिम्मेदारी होगी।
26. तिमाही आधार पर एम.ए.एस. अकाउंट जमा करवाने की जिम्मेदारी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि समय-सीमा के भीतर वित्तीय वर्ष के अंत में मंडलीय लेखाकार/डी.डी.ओ. के माध्यम से इसकी आवश्यक जांच करवाने और इसे जमा करवाने की जिम्मेदारी होगी।

27. प्रतिदिन अपने अधिकार क्षेत्र (ए.ओ.आर.) के अनुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य सौंपने की जिम्मेदारी होगी और अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की नियमित आधार पर जांच करने की जिम्मेदारी होगी।
28. मासिक आधार पर आर.ए.पी.डी.आर.पी. विवरण में वितरण/ट्रांसमिशन प्रणाली (डेल्टा परिवर्तन) में परिवर्तन का अपडेट सुनिश्चित करना होगा और गैर-आर.ए.पी.डी.आर. क्षेत्र के तहत बिजली नेटवर्क के लिए एस.एल.डी. का रख-रखाव सुनिश्चित करना होगा।
29. विभिन्न साधनों/माध्यम के द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के समाधान करने की जिम्मेदारी होगी।
30. बिल/मीटर से संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए एस.वी.आर. जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
31. अपने कार्य एवं जिम्मेदारी आदि के सम्बन्ध में शर्तों एवं प्राप्त किए गए लक्ष्यों सहित यदि कोई कमी है, के कारणों को स्पष्ट दर्शाते हुए अपने उपमंडल अधिकारी को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
32. अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य प्रदर्शन में उपमंडल अधिकारी /परिचालन की सहायता करनी होगी और उपमंडल अधिकारी परिचालन या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आबंटित अन्य किसी विशेष कार्यों के कार्यान्वयन/निष्पादन की जिम्मेदारी होगी।

कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ अभियंता-। के साथ कार्यरत सहायक फोरमैन (ए.एफ.एम.) के कार्य और जिम्मेदारियां

उपमंडलों में पूरे वितरण नेटवर्क और वितरण ट्रांसफार्मरों के रख-रखाव की मुख्य जिम्मेदारी होगी।

1. कनिष्ठ अभियंता प्रभारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य की अनुमति लेने के लिए और ब्रेक डाउन की समस्या को ठीक करना होगा।
2. उचित प्रकार से वितरण ट्रांसफार्मरों के रख-रखाव करना होगा ताकि पिछले वर्ष की अवधि के दौरान हुई क्षति दर की तुलना में क्षति दर को कम करना सुनिश्चित हो :-
 - क) ट्रांसफार्मरों में तेल का स्तर पूरा हो।
 - ख) ब्रेडर में सिलिका जैल सही स्थिति में हो।
 - ग) एच.टी./एल.टी. फ्यूज उचित क्षमता के हों।
 - घ) एच.टी. और एल.टी. बूशिंग टर्मिनल के जंपर कनेक्शन और अर्थ कनेक्शन क्रिपिंग तकनीक के माध्यम से उचित प्रकार से किए गए हो और अच्छी स्थिति में हो।
 - ड) 11 के.वी. जी.ओ. स्विच का रख-रखाव हो और उचित कार्य करते हों।
 - च) प्रत्येक फेस पर लोड संतुलन हो।
 - छ) वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी.) ओवरलोड नहीं हो।
 - झ) एल.टी. केबल उचित प्रकार से बिछाई गई हो और अच्छी स्थिति में हो।
4. नियमों के अनुसार एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. लाइनों, विभिन्न प्रतिस्थापनों की पैट्रोलिंग में सहायता करना और इससे संबंधित समस्याओं को समय पर दुरुस्त करके पैट्रोल बुक में कमियों का रिकॉर्ड रखेंगे :-
 - क) क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण इन्सुलेटर।
 - ख) जले हुए कंडक्टर, गायब हुई अर्थ वायर, गार्डिंग्स, इन्सुलेटरस पिनस, स्टील आइटम, केबल।
 - ग) लाइनों का बेतरतीब झुका होना।
 - घ) झुके हुए खम्भे।
 - ड.) टावर और खम्भों के आधार से सटे या कोई व्यवधान।
 - च) वृक्षों की खतरनाक शाखाएं।
 - छ) बिना इन्सुलेटर के स्टे वायर/ढीली स्टे वायर।
 - ज) निगम के मौजूदा निर्देशों के अनुसार निगम की लाइनों के निकट अन्य विभाग या किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित होर्डिंग, केबल टी.वी., इंटर नेट लाइनों या अन्य एरियल केबल को हटाना।
 - झ) टूटी हुई तार या कोई अन्य कमी।
 - ड) उचित स्पेन लंबाई, ढीली ए.सी.एस.आर. व जी.एस.एल. तार का रख-रखाव।
 - त) आई.आर. वैल्यू, ज्वाइंटिंग कीट और अर्थिंग की स्थिति आदि के लिए एच.टी. यू./जी. केबल।

5. अपने अधिकार क्षेत्र (ए.ओ.आर.) के अनुसार अन्य सौंपे गए कार्यों और बकाया राशि की वसूली के लिए जिम्मेदार होंगे।
6. सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता (जे.ई.) को वितरण ट्रांसफार्मर, एच.टी./एल.टी. नेटवर्क में क्षति के बारे में समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे।
7. उचित सुरक्षा औजार और उपकरण के प्रयोग से संबंधित/जांच करते हुए साइट पर कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। सिंगल लाइन नक्शा तैयार करने में सहायता करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि पी.टी.डब्ल्यू. के समय आवश्यक चेतावनी प्रदान की गई है और इसे सब-स्टेशन पर प्रदर्शित किया गया है।
8. निर्देशों के अनुसार जब्ती रिपोर्ट आदि तैयार करने और कनेक्टेड लोड की रिकॉर्डिंग और चोरी के मामले में काम करने के उचित ढंग की रिकॉर्डिंग सहित साइट पर जांच के बाद एल.एल.-1 चैकिंग रिपोर्ट को उचित तरीके से भरने में सहायता करेंगे।
9. शिकायत केन्द्रों का नियमित दौरा, शिकायत रजिस्टर की जांच, एल.डी. प्रणाली के उचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करना, ब्रेक डाउन शिकायत की साइट को स्वयं निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगे और बार-बार दुर्घटना से बचने के लिए उपचारात्मक बचाव करने के लिए कनिष्ठ अभियंता प्रभारी को इसकी रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी होगी।
10. प्रतिदिन के नियमित कार्य प्रदर्शन में कनिष्ठ अभियंता/परिचालन की सहायता करेंगे और कनिष्ठ अभियंता/परिचालन या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आबंटित अन्य किसी विशिष्ट कार्यों के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे।
11. उपभोक्ता संतुष्टि के लिए यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं/जनता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।
12. खतरनाक/दुर्घटना सम्भावित लाइनों को दुरुस्त करने के कार्य में सहायता करेंगे।
13. बिजली चोरी के मामले पकड़ने, खराब मीटरों को बदलने, मीटरों को स्थानांतरित करने/सील लगाने, जैसे उपायों को अपनाकर निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार लाइन लॉस कम करने में सहायता करेंगे।

लाइनमैन (नियमित आधार पर) के कार्य और जिम्मेदारियां

सुरक्षा संहिता में परिभाषित 'लाइनमैन' पद का अर्थ लाइनों की जांच करने के लिए और लाइनों पर कार्य करने के लिए और वहां से जुड़े स्विच व लाइनों की देखरेख के लिए अधिकृत एक कर्मचारी है। कार्य प्रकृति के अनुसार लाइनमैन को सौंपे गए कार्य निम्नानुसार हैं :-

1. स्थानीय वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य।
2. सब-स्टेशन सहित सब-स्टेशन उपकरणों का निर्माण।
3. ओवरहेड लाइनों के निर्माण और भूमिगत केबल बिछाना।
4. पी.डी.सी.ओ., एस.सी.ओ., एम.सी.ओ., एस.जे.ओ. का कार्यान्वयन।
5. बदलने और ध्वस्त करने का कार्य।
6. सेक्शनिंग प्वाइंट पर 11 के.वी. जी.ओ. स्विच और सभी पोल माउंटिड सब-स्टेशन की जांच करना और ए.एफ.एम./जे.ई. के मार्गदर्शन में इनके सही व निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना।
7. शिकायत केंद्र के क्षेत्र में सभी पोल माउंटिड सब-स्टेशन की और एच.टी. और एल.टी. पर फ्यूज वायर के आकार की जांच करना और ओवर साइज फ्यूज को बदलना।
8. ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर की जांच करना और यदि कोई तेल का रिसाव है, तो उसे बंद करना।
9. जे.ई. प्रभारी को मीटर की गुम हुई सील के बारे में सूचित करना और उपभोक्ता की शिकायतों का निपटान करना।
10. शिकायत रजिस्टर को दुरुस्त रखना।
11. उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने और शिकायत केंद्रों द्वारा दिए गए क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में ब्रेक डाउन को प्राथमिकता पर निपटाने के अतिरिक्त शिकायत केंद्र में कार्यरत लाइनमैन के लिए निम्नलिखित जिम्मेदारी भी होंगी :-
 - क) एल.टी. वितरण प्रणाली में केबल की जांच करना और इनकी देखरेख करना।
 - ख) सर्विस लाइन के ढीले स्पॉट फिर से ठीक करना।
 - ग) अर्थ वायर और लाइन केबल सर्विस, सब-मेन और मेन्स की दोबारा सैगिंग करना।
 - घ) कंडक्टर के नजदीक वृक्षों की शाखा को काटना।
 - ड) तीन महीने में कम से कम एक बार एल.टी. लाइनों का मुआयना करना और झुके हुए खम्भों को सही करना और कंडक्टरों की दोबारा सैगिंग करना।
 - च) शिकायत कार्यालय में व्यक्तिगत और सामान्य टी.एंड पी. की देखभाल और रख-रखाव करना।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लाइनमैन यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई पंप चलाने के लिए अनाधिकृत उपयोग और और अन्य लोड के कारण ओवरलोडिड हुए पोल माउंटिड सब-स्टेशन को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। वह ओवरलोडिंग के कारण वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षति के लिए भी जिम्मेदार होगा और जहां वह कार्यरत है, वहां के शिकायत केंद्र द्वारा दिए गए क्षेत्र के भीतर नलकूप की आपूर्ति से घरेलू उद्देश्य के लिए अनाधिकृत उपयोग और केबल के माध्यम से एल.टी. पर सीधे

कुंडी लगाकर बिजली चोरी करने, एच.टी. लाइन और एल.टी. लाइन की अपर्याप्त सुरक्षा और ओवर लोडिंग के कारण वितरण ट्रांसफार्मर के खराब होने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

13. ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिए या लाइनों के रख-रखाव के कारण ओवरहेड एच.टी. लाइनों पर जब कार्य करना हो, तो सैक्शनलाइजिंग स्विच संचालन के लिए जे.ई./ए.एफ.एम. की अनुपस्थिति में पी.टी.डब्ल्यू. के लिए अधिकृत होगा। वह प्रणाली पर कार्य की अनुमति लेने के लिए संबंधित अधीक्षक अभियंता/परिचालन द्वारा अधिकृत होगा/होगी।
14. वह अपने पर्यवेक्षक को वितरण ट्रांसफार्मरों में रिसाव के कारण तेल में कमी, निगम संपत्ति की हानि, बिजली चोरी आदि से संबंधित अपने परिणामों के बारे में रिपोर्ट करेगा।
15. वह एस.डी.ओ./जे.ई. द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में सामान्य सेवा उपभोक्ता कनेक्शनों की सिलिंग करेगा/करेगी।
16. वह उपकरण/चल रहे स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा। उसकी ओर से किसी लापरवाही के कारण मानव/पशु की किसी दुर्घटना (दुर्घटनाओं) के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।
17. वह अपने अधिकार क्षेत्र में एल.डी. प्रणाली, एच.टी./एल.टी. नेटवर्क के रख-रखाव और ब्रेक डाउन, खराबी, उपभोक्ता शिकायत के निपटान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा/होगी, ताकि एच.ई.आर.सी./आर.टी.एस. शर्तों के अनुसार उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो।
18. वह एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. लाइनों का मुआयना करेगा/करेगी और किसी कमी/खराबी के बारे में उचित रख-रखाव के लिए अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा तथा समय-समय पर संबंधित फीडरों की पेट्रोल बुक को दुरुस्त रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
19. वह डी.टी. का आर.एंड.एम. कार्य करने के लिए, उचित तेल स्तर सुनिश्चित करने के लिए, उचित आकार के फ्यूज वायर के लिए, जी.ओ. स्विच के संचालन के लिए, उचित आकार के जंपर के लिए, लोड संतुलन के लिए, अर्थिंग के लिए जिम्मेदार होगा और वह अपेक्षित छंटाई आदि के रख-रखाव में सहायता करेगा।
20. वह वृक्षों की शाखाओं की छंटाई, खंभों को सीधा करके, स्टे वायर के रख-रखाव, ए.सी.एस.आर. कंडक्टर/टंबलरस आदि को बदलकर एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. लाइनों का रख-रखाव करेगा।
21. वह संबद्ध उपकरण के साथ-साथ 33 के.वी./11 के.वी. और एल.टी. नेटवर्क का निर्माण करेगा।
22. वह बकाया राशि की वसूली में उपभोक्ताओं की पहचान, कनेक्शन काटने, मीटर हटाने आदि कार्य में जे.ई./ए.एफ.एम. की सहायता करेगा।
23. वह चोरी पकड़ने के मामले में जांच दल के प्रभारी की सहायता करेगा।
24. वह जे.ई. प्रभारी द्वारा दिए गए कार्य क्षेत्र (ए.ओ.आर.) में बकाया राशि की वसूली के लिए, नए कनेक्शन जारी करने/चोरी की सूचना देने/बिजली की अनाधिकृत उपयोग की सूचना देने के

लिए जिम्मेदार होगा और उपभोक्ता की सर्विस लाइन बिछाने के लिए उपभोक्ता परिसरों/साइट का निरीक्षण करेगा और साथ ही साथ एस.सी.ओ./आर.सी.ओ. कार्य में कनिष्ठ अभियंता (जे.ई) की सहायता करेगा।

25. वह मीटर रीडिंग की क्रॉस जांच-पड़ताल, मीटर की जांच, उपभोक्ता की शिकायत या इसके अलावा जरूरी होने पर टूटी हुई सील/सील लगाने के लिए जे.ई./ए.एफ.एम. की सहायता करेगा।
26. वह एम.सी.ओ./मीटर की जांच, मीटरों को बदलने, विवरण/सील के रिकॉर्ड आदि कार्य करने में जे.ई./ए.एफ.एम. की सहायता करेगा।
27. वह सुधार कार्य करने के लिए प्राक्कलन तैयार करने और एस.जे.ओ. कार्य करने के लिए जे.ई./ए.एफ.एम. की सहायता करेगा।
28. वह गुणवत्ता आधारित कार्य, साइट व्यवधान को दूर करने और पैमाइश का रिकॉर्ड रखने आदि के दौरान जे.ई./ए.एफ.एम. की सहायता करेगा।
29. वह उपभोक्ता परिसरों के कनेक्टिड लोड रजिस्टर और कनेक्शन लोड की जांच को दुरुस्त रखने में जे.ई./ए.एफ.एम. की सहायता करेगा।
30. वह फंडिंग योजना तैयार करने में जे.ई./ए.एफ.एम. की सहायता करेगा।
31. वह सेवा का अधिकार अधिनियम की समय-सीमा के अनुसार सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करेगा।
32. वह सहायक लाइनमैन और अनुबंध कर्मचारियों के कार्य की उचित देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा और अपनी ओर से प्रमुख मामलों की एक मासिक रिपोर्ट जैसे कि बिना मीटर के घरों की संख्या पता और नाम सहित, फीडर की स्थिति यानि जी.एस.एल. अनुपलब्धता, डी.टी. अर्थिंग, झुके हुए खंभों, टूटे हुए खंभों और महीने के दौरान जोड़ी गई लाइनों/डी.टी. की वृद्धि को प्रस्तुत करेगा।
33. वह उपभोक्ता/जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए प्रयास करेगा।
34. वह ए.एफ.एम./जे.ई./एस.डी.ओ. द्वारा सौंपे गए किसी विशेष कार्यो को करेगा।

सहायक लाइनमैन (नियमित आधार पर) के कार्य और जिम्मेदारियां

लाइनमैन के लिए परिभाषित किए गए निम्नलिखित कार्यों के लिए सहायक लाइनमैन समान रूप से जिम्मेदार होगा :-

1. स्थानीय वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य।
2. सब-स्टेशन सहित सब-स्टेशन उपकरणों का निर्माण।
3. ओवरहेड लाइनों के निर्माण और भूमिगत केबल बिछाना।
4. पी.डी.सी.ओ., एस.सी.ओ., एम.सी.ओ., एस.जे.ओ. का कार्यान्वयन।
5. बदलने और ध्वस्त करने का कार्य।
6. सेक्शनिंग प्वाइंट पर 11 के.वी. जी.ओ. स्विच और सभी पोल माउंटेड सब-स्टेशन की जांच करना और ए.एफ.एम./जे.ई. की सहायता से इनके सही व निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना।
7. शिकायत केंद्र के क्षेत्र में सभी पोल माउंटेड सब-स्टेशन की ओर एच.टी. और एल.टी. पर फ्यूज वायर के आकार की जांच करना और ओवर साइज फ्यूज को बदलना।
8. ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर की जांच करना और यदि कोई तेल का रिसाव है, तो उसे बंद करना।
9. जे.ई. प्रभारी को मीटर की गुम हुई सील के बारे में सूचित करना और उपभोक्ता की शिकायतों का निपटान करना।
10. शिकायत रजिस्टर को दुरुस्त रखना।
11. उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने और शिकायत केंद्रों द्वारा दिए गए क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में ब्रेक डाउन को प्राथमिकता पर निपटाने के अतिरिक्त शिकायत केंद्र में कार्यरत सहायक लाइनमैन के लिए निम्नलिखित जिम्मेदारी भी होंगी :-
 - क) एल.टी. वितरण प्रणाली में केबल की जांच करना और इनकी देखरेख करना।
 - ख) सर्विस लाइन के ढीले स्पॉट फिर से ठीक करना।
 - ग) अर्थ वायर और लाइन केबल सर्विस, सब-मेन और मेन्स की दोबारा सैगिंग करना।
 - घ) कंडक्टर के नजदीक वृक्षों की शाखा को काटना।
 - ड) तीन महीने में कम से कम एक बार एल.टी. लाइनों का मुआयना करना और झुके हुए खम्भों को सही करना और कंडक्टरों की दोबारा सैगिंग करना।
 - च) शिकायत कार्यालय में व्यक्तिगत और सामान्य टी.एंड पी. की देखभाल और रख-रखाव करना।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लाइनमैन यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई पंप चलाने के लिए अनाधिकृत उपयोग और और अन्य लोड के कारण ओवरलोडिड हुए पोल माउंटेड सब-स्टेशन को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। वह ओवरलोडिंग के कारण वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षति के लिए भी जिम्मेदार होगा और जहां वह कार्यरत है, वहां के शिकायत केंद्र द्वारा दिए गए क्षेत्र के भीतर नलकूप की आपूर्ति से घरेलू उद्देश्य के लिए अनाधिकृत उपयोग और केबल के माध्यम से एल.टी. पर सीधे

- कुंडी लगाकर बिजली चोरी करने, एच.टी. लाइन और एल.टी. की अपर्याप्त सुरक्षा और ओवर लोडिंग के कारण वितरण ट्रांसफार्मर के खराब होने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
13. वह अपने सुपरवाइजर को वितरण ट्रांसफार्मरों में रिसाव के कारण तेल में कमी, निगम संपत्ति की हानि, बिजली चोरी आदि से संबंधित अपने परिणामों के बारे में रिपोर्ट करेगा।
 14. वह एस.डी.ओ./जे.ई. द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में सामान्य सेवा उपभोक्ता कनेक्शनों की सिलिंग करेगा/करेगी।
 15. वह उपकरण/चल रहे स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा। उसकी ओर से किसी लापरवाही के कारण मानव/पशु की किसी दुर्घटना (दुर्घटनाओं) के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।
 16. फील्ड में कार्यरत सहायक लाइनमैन अपने अधिकार क्षेत्र में एल.डी. प्रणाली, एच.टी./एल.टी. नेटवर्क के रख-रखाव और ब्रेक डाउन, खराबी, उपभोक्ता शिकायत के निपटान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा/होगी, ताकि एच.ई.आर.सी./आर.टी.एस. शर्तों के अनुसार उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो।
 17. वह जे.ई. प्रभारी द्वारा दिए गए कार्य क्षेत्र (ए.ओ.आर.) में बकाया राशि की वसूली के लिए, नए कनेक्शन जारी करने/चोरी की सूचना देने/बिजली की अनाधिकृत उपयोग की सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगा।
 18. वह एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. लाइनों का मुआयना करेगा/करेगी और किसी कमी/खराबी के बारे में उचित रख-रखाव के लिए अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा तथा समय-समय पर संबंधित फील्डों की पैट्रोल बुक को दुरुस्त रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
 19. वह डी.टी. का आर.एंड एम. कार्य करने के लिए, उचित तेल स्तर सुनिश्चित करने के लिए, उचित आकार के फ्यूज वायर के लिए, जी.ओ. स्विच के संचालन के लिए, उचित आकार के जंपर के लिए, लोड संतुलन के लिए, अर्थिंग के लिए जिम्मेदार होगा और वह अपेक्षित छंटाई आदि के रख-रखाव में सहायता करेगा।
 20. वह वृक्षों की शाखाओं की छंटाई, खंभों को सीधा करके, स्टे वायर के रख-रखाव, ए.सी.एस.आर. कंडक्टर/टंबलरस आदि को बदलकर एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. लाइनों का रख-रखाव करेगा।
 21. वह संबद्ध उपकरण के साथ-साथ 33 के.वी./11 के.वी. और एल.टी. नेटवर्क का निर्माण करेगा।
 22. वह उपभोक्ताओं से के.वाई.सी. प्राप्त करेगा।
 23. वह बकाया राशि की वसूली में उपभोक्ताओं की पहचान, कनेक्शन काटने, मीटर हटाने आदि कार्य में जे.ई./ए.एफ.एम./लाइनमैन की सहायता करेगा।
 24. वह बिजली चोरी पकड़ने वाली टीम में शामिल होगा।

25. वह उपभोक्ता की सर्विस लाइन बिछाने के लिए उपभोक्ता परिसरों/साइट की जांच-पड़ताल करेगा और साथ ही साथ एस.सी.ओ./आर.सी.ओ. कार्य में कनिष्ठ अभियंता (जे.ई.) की सहायता करेगा।
26. वह मीटर रीडिंग की क्रॉस जांच-पड़ताल, मीटर की जांच, उपभोक्ता की शिकायत या इसके अलावा जरूरी होने पर टूटी हुई सील/सील लगाने के लिए जे.ई./ए.एफ.एम. की सहायता करेगा।
27. वह एम.सी.ओ./मीटर की जांच, मीटरों को बदलने, **विवरण/सील** के रिकॉर्ड आदि कार्य करने में जे.ई./ए.एफ.एम./लाइनमैन की सहायता करेगा।
28. वह सुधार कार्य करने के लिए प्राक्कलन तैयार करने और एस.जे.ओ. कार्य करने के लिए जे.ई./ए.एफ.एम./लाइनमैन की सहायता करेगा।
29. वह गुणवत्ता आधारिक कार्य निष्पादन, साइट व्यवधान को दूर करने और पैमाइश का रिकॉर्ड रखने आदि के दौरान जे.ई./ए.एफ.एम./लाइनमैन की सहायता करेगा।
30. वह उपभोक्ता परिसरों के कनेक्टिड लोड रजिस्टर और कनेक्शन लोड की जांच को दुरुस्त रखने में जे.ई./ए.एफ.एम./लाइनमैन की सहायता करेगा।
31. वह फंडिंग योजना तैयार करने में जे.ई./ए.एफ.एम./लाइनमैन की सहायता करेगा।
32. वह केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए जे.ई./ए.एफ.एम./लाइनमैन की सहायता करेगा।
33. वह सेवा का अधिकार अधिनियम की समय-सीमा के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
34. वह उपभोक्ता/जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए प्रयास करेगा।
35. वह जे.ई./एस.डी.ओ. द्वारा सौंपे गए किसी विशेष कार्यो को करेगा।

सहायक लाइनमैन (आउटसोर्स/अनुबंध आधार पर) के कार्य

1. वह एच.टी./एल.टी. वितरण प्रणाली पर आई खराबी और उपभोक्ता शिकायत निपटाने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि एच.ई.आर.सी./आर.टी.एस. शर्तों के अनुसार उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो।
2. वह एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. लाइनों का मुआयना करेगा और निवारक रख-रखाव की कमियों के बारे में रिपोर्ट करेगा।
3. वह डी.टी. का आर.एंड.एम. कार्य करने के लिए, उचित तेल स्तर सुनिश्चित करने के लिए, उचित आकार के फ्यूज वायर के लिए, जी.ओ. स्विच के संचालन के लिए, उचित आकार के जंपर के लिए, लोड संतुलन के लिए, अर्थिंग के लिए जिम्मेदार होगा और वह अपेक्षित छंटाई आदि के रख-रखाव में सहायता करेगा।
4. वह वृक्षों की शाखाओं की छंटाई, खंभों को सीधा करके एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. लाइनों का रख-रखाव करेगा।
5. वह संबद्ध उपकरण के साथ-साथ 33 के.वी./11 के.वी. और एल.टी. नेटवर्क का निर्माण करेगा।
6. वह उपकरण/चल रहे स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा।
7. वह उपभोक्ताओं से के.वाई.सी. प्राप्त करेगा।
8. वह बकाया राशि की वसूली में उपभोक्ताओं की पहचान, कनेक्शन काटने, मीटर हटाने आदि कार्य में जे.ई. की सहायता करेगा।
9. वह बिजली चोरी पकड़ने वाली टीम की सहायता करेगा।
10. वह उपभोक्ता/जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए प्रयास करेगा।
11. वह जे.ई./एस.डी.ओ. द्वारा सौंपे गए किसी विशेष कार्य को करेगा।

एस.ए. के कार्य (नियमित)

1. वह सुरक्षा संहिता निर्देशों का अनुसरण करते हुए संचालित निर्देशों/नियमों के अनुसार सभी उपकरणों पर स्विचिंग संचालन कार्य करेगा। वह अपनी शिफ्ट के दौरान सभी स्विचिंग संचालन कार्य करने के लिए जिम्मेदार होगा।
2. वह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न उपकरणों की डी.सी. और ए.सी. आपूर्ति, सुरक्षा और लाइटिंग योजना आदि हर समय उपलब्ध है और ये उचित कार्य के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटर के भीतर हैं।
3. वह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षा/बचाव उपाय उचित प्रकार से लागू किए गए हैं और सही प्रकार से स्थापित हैं।
4. वह सुनिश्चित करेगा कि निर्माता की सिफारिशों के अनुसार स्टेशन बैटरी प्लोट/क्विक चार्ज होती है।
5. ट्रिपिंग/ब्रेक डाउन के मामले में खराबी के विशेष संकेत मिलने पर प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा और वह आपूर्ति बहाली के लिए ब्रेक डाउन आदि के मामले में सही का (क्लीयरेंस) प्रमाण-पत्र भी मांगेगा।
6. वह सुरक्षा नियम/संहिता में दिए गए सभी निर्देशों की पालना करते हुए पी.टी. डब्ल्यू की आवश्यकता के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुए कि बिजली आपूर्ति स्विचड ऑफ/वी.सी.बी. ट्राली निकाल ली गई है/अर्थिंग आदि हो गई है, तो वह अपने हस्ताक्षर सहित सब-स्टेशन प्रभारी की अनुमति से पी.टी. डब्ल्यू जारी करेगा और निरस्त करेगा।
7. वह आगजनी होने पर अन्य कर्मचारी सदस्यों की सहायता से अग्नि रोधक उपकरणों का उपयोग करेगा और रख-रखाव करेगा।
8. वह लॉग शीट में नियंत्रण कक्ष प्रणाली के कार्य संबंधित किसी अन्य मामले और सभी पैनल रीडिंग/ट्रिपिंग/अनियमितताएं, आपूर्ति में व्यवधान, किए गए कार्य का रिकॉर्ड रखेगा।
9. वह बिजली कटौती रजिस्टर में बिजली कट/बिजली की कटौती का रिकॉर्ड रखेगा।
10. वह उपकरणों, अर्थ वैल्यू आदि का आवधिक रख-रखाव करेगा।
11. वह आवधिक जांच में एम.एंड पी. दल की सहायता करेगा।
12. वह सब-स्टेशन प्रभारी की देखरेख में पी./टी./एफ. पर ओ.एल.टी.सी. संचालन और जांच करेगा।
13. वह जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी लाइटिंग फिक्सचर/सुरक्षा प्रणाली यानि रिलेज, एन्यूनसीएटरस आदि कार्य कर रहे हैं।
14. वह 'सुरक्षा संहिता परीक्षा' में योग्य होने के नाते, सुरक्षा संहिता में निहित निर्देशों को लागू करेगा।
15. वह एस.डी.ओ./सब-स्टेशन प्रभारी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य करेगा।

एस.ए. के कार्य (आउटसोर्स)

1. वह सुरक्षा संहिता निर्देशों की पालना करने के साथ-साथ संचालित निर्देशों/नियमों के अनुसार सभी उपकरणों पर स्विचिंग संचालन कार्य करेगा।
2. वह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न उपकरणों की डी.सी. और ए.सी. आपूर्ति, सुरक्षा और लाइटिंग योजना आदि हर समय उपलब्ध है और ये उचित कार्य के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटर के भीतर हैं।
3. वह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षा/रक्षा उपाय उचित प्रकार से लागू किए गए हैं और सही प्रकार से स्थापित हैं।
4. वह सुनिश्चित करेगा कि निर्माता की सिफारिशों के अनुसार स्टेशन बैटरी प्लोट/क्विक चार्ज होती है।
5. ट्रिपिंग/ब्रेक डाउन के मामले में खराबी के विशेष संकेत मिलने पर प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा और वह आपूर्ति बहाली के लिए ब्रेक डाउन आदि के मामले में सही का (क्लीयरेंस) प्रमाण-पत्र भी मांगेगा।
6. वह सुरक्षा नियम/संहिता में दिए गए सभी निर्देशों की पालना करते हुए पी.टी. डब्ल्यू की आवश्यकता के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुए कि बिजली आपूर्ति स्विचड ऑफ/वी.सी.बी. ट्राली निकाल ली गई है/अर्थिंग आदि हो गई है, तो वह अपने हस्ताक्षर सहित सब-स्टेशन प्रभारी की अनुमति से पी.टी. डब्ल्यू जारी करेगा और निरस्त करेगा।
7. वह आगजनी होने पर अन्य कर्मचारी सदस्यों की सहायता से अग्नि रोधक उपकरणों का उपयोग करेगा और रख-रखाव करेगा।
8. वह लॉग शीट में नियंत्रण कक्ष में प्रणाली के कार्य संबंधित किसी अन्य मामले और सभी पैनल रीडिंग/ट्रिपिंग/अनियमितताएं, आपूर्ति में व्यवधान, किए गए कार्य का रिकॉर्ड रखेगा।
9. वह बिजली कटौती रजिस्टर में बिजली कट/बिजली की कटौती का रिकॉर्ड रखेगा।
10. वह उपकरणों, अर्थ वैल्यू आदि के आवधिक रख-रखाव में नियमित कर्मचारियों की सहायता करेगा।
11. वह एस.डी.ओ. /सब-स्टेशन प्रभारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करेगा।

सहायक सब-स्टेशन अटेंडेंट (ए.एस.एस.ए.) के कार्य और जिम्मेदारियां

1. वह कार्य भार ग्रहण करते समय सुनिश्चित करेगा कि पहली शिफ्ट ड्यूटी के ऑपरेटर/ए.एस.एस.ए. द्वारा लॉग शीट पूरी तरह से भरी गई है और अपडेट की गई है। वह पिछली शिफ्ट के दौरान जारी किए गए प्रत्येक ऑनगोईंग ब्रेक डाउन, शट डाउन, पी.टी. डब्ल्यू (कार्य की अनुमति) को जांचेगा और कार्यभार संभालेगा। इसके अतिरिक्त, वह सुरक्षा नियम/संहिता में दिए गए सभी निर्देशों की पालना करते हुए पी.टी. डब्ल्यू की आवश्यकता के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुए कि बिजली आपूर्ति स्विचड ऑफ/वी.सी.बी. ट्राली निकाल ली गई है/अर्थिंग आदि हो गई है, तो वह अपने हस्ताक्षर सहित सब-स्टेशन प्रभारी की अनुमति से पी.टी. डब्ल्यू जारी करेगा और निरस्त करेगा।
2. वह सुरक्षा संहिता निर्देशों की पालना करते हुए संचालित निर्देशों/नियमों के अनुसार सभी उपकरणों पर स्विचिंग संचालन कार्य करेगा। वह अपनी शिफ्ट में सभी स्विचिंग ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होगा। वह नियंत्रण कक्ष को दौरा करेगा और ट्रिप प्रणाली के पुश बटन को दबाकर ट्रिप प्रणाली सही होने की जांच करेगा। यदि डी.सी. नियंत्रण रिले प्रदान की गई है, तो डी.सी. नियंत्रण रिले के सही होने की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त, शिफ्ट के शुरुआत में, शिफ्ट के बीच में और शिफ्ट के अंत में प्रत्येक ब्रेकर के ट्रिप सर्किट के सही होने से संबंधित एक प्रमाण-पत्र दर्ज करेगा।
3. वह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न उपकरणों की डी.सी. और ए.सी. आपूर्ति, सुरक्षा और लाइटिंग योजना आदि हर समय उपलब्ध है और ये उचित कार्य के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटर के भीतर हैं।
4. वह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षा/बचाव उपाय उचित प्रकार से लागू किए गए हैं और सही प्रकार से स्थापित हैं।
5. वह सुनिश्चित करेगा कि निर्माता की सिफारिशों के अनुसार स्टेशन बैटरी प्लोट/क्विक चार्ज होती है।
6. ट्रिपिंग/ब्रेक डाउन के मामले में खराबी के विशेष संकेत मिलने पर प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा और वह आपूर्ति बहाली के लिए ब्रेक डाउन आदि के मामले में सही का (क्लीयरेंस) प्रमाण-पत्र भी मांगेगा।
7. वह प्रतिदिन वी.सी.बी./ब्रेकर की ऑन ऑफ दर्शाती स्प्रिंग चार्ज स्थिति के लिए प्रत्येक सी. एंड आर. पैनल पर प्रदान किए गए प्रदर्शक लैंप के सही होने को सुनिश्चित करेगा। यदि कोई खराबी पाई जाती है, तो इसके बारे में तुरंत उपमंडल अधिकारी 'परिचालन'/सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी को सूचित करेगा।
8. वह डी.सी. बैटरी वोल्टेज की नियमित निगरानी करेगा। निगम के निर्देशानुसार बैटरी सैल वोल्टेज और लैड एसिड बैटरी की ग्रेविटी को बैटरी रख-रखाव रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। 12 नंबर सैल के लिए बैटरी वोल्टेज और विनिर्दिष्ट ग्रेविटी को प्रत्येक सप्ताह मापना चाहिए। वोल्टेज जांच

की कार्यवाही से कम से कम आधा घंटा पहले बैटरी चार्जर बंद करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ए.सी. आपूर्ति विफल होने के मामले में बैटरी बेक अप उपलब्ध है। सामान्यतः, बैटरी चार्जर फ्लॉट मोड (या स्वचालित मोड यदि उपलब्ध है) पर रखना चाहिए। कुछ अवधि के लिए चार्जर को बुस्ट ऑप्रेशन पर रखना चाहिए, यदि तेज चार्जिंग की आवश्यकता हो, तो बैटरी की आउट पुट वोल्टेज रखें।

9. सी.टी., एन.सी.टी., पी.टी. आदि में किसी तेल रिसाव की जांच के लिए शिफ्ट के दौरान यार्ड का दौरा करेगा। वह रात्रि के समय, यार्ड में लाइट की जांच सुनिश्चित करेगा कि सभी लाइट चालू हालत में हैं। वह रात्रि के समय यार्ड के हॉट प्वाइंट की जांच करेगा। हॉट प्वाइंटस जांचने के लिए यार्ड में जाने से पहले यार्ड लाइट बंद होनी चाहिए।
10. अपने निगरानी दौरे के दौरान सी.टी., पी.टी. या किसी हॉट प्वाइंट में कोई रिसाव का पता चलता है, तो उसे लॉग शीट में दर्ज करेगा/करेगी और आवश्यक कार्रवाई के लिए उपमंडल अधिकारी 'परिचालन' / सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी को सूचित करना चाहिए।
11. 11 के.वी. वी.सी.बी. के संचालन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि वी.सी.बी. नियंत्रण कक्ष में टी.एन.सी. (ट्रिप, नॉर्मल, क्लॉज) स्विच के साथ संचालित है। यदि कोई टी.एन.सी. स्विच खराब पाया जाता है, तो प्राथमिकता आधार पर संबंधित सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी के माध्यम से बदला जाए।
12. प्रत्येक घंटे में सभी बिजली ट्रांसफार्मरों की वाईडिंग और तेल तापमान को सुनिश्चित करें। परिसर में ट्रांसफार्मर नियंत्रण पैनल में स्थापित वाईडिंग तापमान पैमाने और तेल तापमान पैमाने पर प्रदर्शित तापमान को आर.टी.सी.सी. पैनल में स्थापित मीटर पर प्रदर्शित तापमान के साथ मिलान करना चाहिए।
13. वह प्रत्येक घंटे में लॉग शीट डाटा यानि वोल्टेज, सभी 11 के.वी. फीडरों और पावर ट्रांसफार्मरों का लोड, डी.सी. बैटरी वोल्टेज, मौसम स्थिति, पावर ट्रांसफार्मर का तापमान और पावर ट्रांसफार्मर की टैप की स्थिति आदि को दर्ज करेगा।
14. प्रत्येक पावर ट्रांसफार्मर और मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज (एम.ओ.एल.जी.) पर देखकर ओ.एल.टी. सी. टैंक तथा प्रिसमैटिक ऑयल गेज के लिए तेल स्तर की जांच करके सब-स्टेशन प्रभारी की देखरेख में पी./टी./एफ. पर ओ.एल.टी.सी. का संचालन करें और जांच करें। यदि तेल का स्तर निम्न पाया जाता है, तो इसके बारे में तुरंत सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी को सूचित करना चाहिए।
15. वह आगजनी होने पर अन्य कर्मचारी सदस्यों की सहायता से अग्नि रोधक उपकरणों का उपयोग करेगा और इनका रख-रखाव करेगा।
16. वह लॉग शीट में नियंत्रण कक्ष प्रणाली के कार्य संबंधित किसी अन्य मामले और सभी पैनल रीडिंग/ट्रिपिंग/अनियमितताएं, आपूर्ति में व्यवधान, किए गए कार्य का रिकॉर्ड रखेगा।
17. वह बिजली कटौती रजिस्टर में बिजली कट/बिजली की कटौती का रिकॉर्ड रखेगा।
18. वह उपकरणों, अर्थ वैल्यू आदि का आवधिक रख-रखाव करेगा।

19. सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी की उपस्थिति में नियमित आधार पर सभी अर्थिंग पीटस (गड्ड़ो) को पानी से भरना सुनिश्चित करें।
20. यह सुनिश्चित करें कि नियंत्रण कक्ष और स्विच यार्ड में स्थापित सभी पैनल पर धूल व जाले नहीं हैं। छिपकली/चूहे और बरसाती पानी आदि के कारण अनावश्यक ट्रिपिंग से बचने के लिए प्रत्येक पैनल को एम.सील या केबल ग्लैंड की उचित फिटिंग के माध्यम से केबल के छोर सील होने चाहिए।
21. डिफरेंशियल रिले के संचालन के कारण ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग के मामले में, ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं करना चाहिए, चूंकि डिफरेंशियल रिले ट्रांसफार्मर की अंदरूनी खराबी को दर्शाती है। एच.वी.एंड एल.वी. एल.ए. सहित एच.वी. एल.वी. के बीच क्षेत्र का तुरंत निरीक्षण करें और इसकी उचित जांच के लिए एम.एंड पी. टीम को बुलाएं।
22. आर.ई.एफ. (एच.वी. या एल.वी.) रिले के संचालन के कारण ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग के मामले में ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं करना चाहिए, चूंकि यह रिले ट्रांसफार्मर के अंदरूनी खराबी को दर्शाती है। एच.वी.एंड एल.वी. एल.ए. सहित एच.वी. एल.वी. के बीच क्षेत्र का निरीक्षण करें; एम.एंड पी. टीम द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने तक ट्रांसफार्मर को चार्ज करने की प्रयास नहीं करना चाहिए।
23. आंतरिक खराबी के कारण सामान्यतः गैसों के उत्पादन के मामले में मेन बंकहॉलज रिले और ओ. एल.टी.सी. बंकहॉलज रिले का संचालन होता है। बंकहॉलज रिले के संचालन के मामले में ट्रांसफार्मर को तब तक चार्ज करने का प्रयास नहीं करना होता, जब तक कि एस.डी.ओ./ऑपरेशन या एम.एंड पी. विंग द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाए। ट्रांसफार्मर में कम तेल के कारण भी बंकहॉलज रिले कार्य करती है। कंजरवेटर टैंक पर स्थापित प्रिसमेटिक ऑयल गेज और एम.ओ.एल.जी. के माध्यम से तेल की जांच करनी चाहिए। यदि तेल का स्तर कम पाया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में तुरंत तेल के स्तर को ऊपर करने के लिए उचित कार्यवाही हेतु इसकी सूचना सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी को सूचित करें।
24. पावर ट्रांसफार्मर में आंतरिक खराबी के दौरान बने आंतरिक टैंक प्रेशर छोड़ने के लिए मेन पी.आर. वी. (प्रेशर रिलीफ वॉल्व) और ओ.एल.टी.सी. पी.आर.वी. का उपयोग किया जाता है। एस.डी.ओ./परिचालन या एम. एंड पी. विंग द्वारा अनुमति नहीं मिलने तक कोई प्रयास नहीं करना चाहिए।
25. ट्रांसफार्मर के कूलिंग फैन (यदि ट्रांसफार्मर पर प्रावधान है) की स्थिति को नियमित तौर पर, विशेष रूप से अधिकतम लोड घंटे के दौरान जांच करें। फैन स्वचालित मोड में चलाया जाना चाहिए।
26. यदि वाईडिंग तापमान ट्रिप (डब्ल्यू टी.टी.) रिले के कारण ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग होता है, तो तुरंत अपने हाथ का प्रयोग करके ट्रांसफार्मर की बॉडी का तापमान जांचना चाहिए। जब तक एस.डी.ओ. परिचालन द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। ओवरलोडिंग और/या कूलिंग सिस्टम के विफल होने के कारण ट्रांसफार्मर के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती

- है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वाईडिंग तापमान और कूलिंग फैन संचालन की निगरानी रखें। कूलिंग सिस्टम के विफल होने के मामले में, सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी को स्थिति की सूचना दें।
27. वार्षिक रख-रखाव के दौरान, पावर ट्रांसफार्मर के ऊपरी भाग पर प्रदान की गई तापमान गेज की सभी तेल पॉकेट्स की जांच करते हुए यह सुनिश्चित करें कि इन सभी में तेल भरा हुआ है। यदि ऐसा नहीं है, तो सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।
 28. ट्रांसफार्मर के ओ.एल.टी.सी. में फिजिकल टैप स्थिति के साथ आर.टी.सी.सी. पैनल पर स्थापित टैप प्रदर्शक मीटर पर यह टैप प्रदर्शित होनी चाहिए। इसकी ए.एस.एस.ए. और सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी द्वारा नियमित जांच की जानी चाहिए।
 29. किसी लाइन ट्रिपिंग के मामले में, प्रत्येक खराबी लॉग विवरण यानि अधिक करंट का और अर्थ खराबी का रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, फीडर प्रभारी से अपेक्षित प्रमाण-पत्र लेने के बाद फीडर पर प्रयास सुनिश्चित करें और मंहगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए ब्रेकर के माध्यम से खराबी का पता लगाने के लिए फीडर प्रभारी को अनुमति नहीं दी जाए।
 30. ब्रेकर के बंद होने की स्थिति सुनिश्चित होने के बाद ही आईसोलेटर को खोला जाए।
 31. ए.एस.एस.ए. द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आईसोलेटर उचित प्रकार से बंद हैं। जब कभी भी आईसोलेटर बंद हो जाता है, तो आईसोलेटर पर आर्क/हॉट स्पॉट के निकलने को नोट करें और इसे ठीक करने का कार्य करें।
 32. पावर ट्रांसफार्मर की किसी भी ट्रिपिंग के दौरान प्रत्येक रिले के संचालन की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी रिले के संचालन के मामले में, लॉग शीट में सभी खराबी के विवरण को दर्ज करें और आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए एस.डी.ओ./परिचालन, सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी को सूचित करें।
 33. प्रत्येक ट्रांसफार्मर की सिलिका जैल की जांच करें और यदि आवश्यक है, तो सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी द्वारा तुरंत आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
 34. ट्रांसफार्मर ब्रिथिंग कार्यवाही के दौरान धूल कण अवरोध से उचित तेल स्तर की ए.एस.एस.ए. द्वारा सिलिका जैल पोट के नीचे ऑयल कप की जांच की जानी चाहिए।
 35. यह सुनिश्चित करें कि जब रख-रखाव/शट डाउन के दौरान स्विच यार्ड में, कार्य कर रहे हो, तो उस बे ब्रेकर संचालन को लोकल मोड में रखना चाहिए।
 36. एम.एस. पलैट के बीच प्रदान की गई कनेक्टिविटी के माध्यम से अर्थ एन.सी.टी. को सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी द्वारा इसके उचित संपर्क के लिए ए.एस.एस.ए. द्वारा नियमित जांच करना आवश्यक है।
 37. रिसाव करंट विशेषतौर पर बरसात के मौसम में सहित सर्ज काउंटर के सही होने के जांच करें। ऑप्रेटर को 15 दिन में सर्ज काउंटर की रीडिंग का रिकॉर्ड करना चाहिए और इसे रिकॉर्ड में रखना चाहिए।

38. ओ.एंड एम. कर्मचारी को जब पी.टी.डब्ल्यू जारी किया जाए, तो ऑप्रेटर/ए.एस.एस.ए. द्वारा पी.टी. डब्ल्यू पर निम्नलिखित दर्ज किया जाए:-
- (1) वी.सी.बी. खुली है और ट्राली को बाहर निकाल दिया है।
 - (2) तारीख के साथ हस्ताक्षर सहित पी.टी.डब्ल्यू की तारीख और समय।
 - (3) कार्य शुरू करने से पहले अस्थाई अर्थ किया जाना चाहिए।
- पी.टी.डब्ल्यू निरस्त करने से पहले केवल अधिकृत व्यक्ति से ही सही का (क्लीयरेंस) प्रमाण-पत्र लेकर दर्ज करना चाहिए।
39. यह सुनिश्चित करें कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सब-स्टेशन में कोई संचालन नहीं किया जाए।
40. आवधिक जांच में एम.एंड पी. टीम की सहायता करें।
41. यह जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी लाइटिंग फिक्सचर/सुरक्षा प्रणाली यानि रिले, ऐनयूनसीएटरस आदि कार्य कर रहे हैं।
42. वह 'सुरक्षा संहिता परीक्षा' में योग्य होने के नाते, सुरक्षा संहिता में निहित निर्देशों को लागू करेगा।
43. यह सुनिश्चित करें कि निगम के नियमानुसार आग बुझाने के यंत्र (अग्निशामक) प्रदान किए गए हैं और ये चालू हालत में हैं। अग्निशामक नियमित रूप से भरे हुए हों और प्रत्येक अग्निशामक पर वैधता स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।
44. यह सुनिश्चित करें कि निगम के निर्देशानुसार "मीटर रीडिंग एप" में सब-स्टेशन से संबंधित डाटा की प्रविष्टि की जाए।
45. ट्रांसमिशन प्रणाली पर कार्य करते हुए सभी सुरक्षा सावधानी रखनी चाहिए/और बिजली लाइनों से दूरी बनाए रखें।
46. इन सभी निर्देशों की प्रतिदिन और नियमित रूप से पालना करें।
47. वह अपने नियंत्रण अधिकारी/कर्मचारी को सब-स्टेशन पैरामीटर से संबंधित मासिक रिपोर्ट में अपनी उपलब्धि और लंबित कार्यों को दर्ज करेगा/करेगी।
48. वह एस.डी.ओ./सब-स्टेशन प्रभारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य करेगा।

सब-स्टेशन सहायक (एस.एस.ए.) के कार्य और जिम्मेदारियां

1. वह कार्य भार ग्रहण करते समय सुनिश्चित करेगा कि पहली शिफ्ट ड्यूटी के ऑपरेटर/ए.एस.एस.ए. द्वारा लॉग शीट पूरी तरह से भरी गई है और अपडेट की गई है। वह पिछली शिफ्ट के दौरान जारी किए गए प्रत्येक ऑनगोईंग ब्रेक डाउन, शट डाउन, पी.टी. डब्ल्यू (कार्य की अनुमति) को जांचेगा और कार्यभार संभालेगा।
2. वह नियंत्रण कक्ष को दौरा करेगा और ट्रिप प्रणाली के पुश बटन को दबाकर ट्रिप प्रणाली सही होने की जांच करेगा। यदि डी.सी. नियंत्रण रिले प्रदान की गई है, तो डी.सी. नियंत्रण रिले के सही होने की जांच करेगा।
3. वह प्रतिदिन वी.सी.बी./ब्रेकर की ऑन ऑफ दर्शाती स्प्रिंग चार्ज स्थिति के लिए प्रत्येक सी. एंड आर. पैनल पर प्रदान किए गए प्रदर्शक लैंप के सही होने को सुनिश्चित करेगा और यदि कोई खराबी पाई जाती है, तो इसे बदलेगा।
4. वह डी.सी. बैटरी वोल्टेज की नियमित निगरानी करेगा। उसे निगम के निर्देशानुसार बैटरी सैल वोल्टेज और लैड एसिड बैटरी की ग्रेविटी को बैटरी रख-रखाव रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। 12 नंबर सैल के लिए बैटरी वोल्टेज और विनिर्दिष्ट ग्रेविटी को प्रत्येक सप्ताह मापना चाहिए। वोल्टेज जांच की कार्यवाही से कम से कम आधा घंटा पहले बैटरी चार्जर बंद करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ए.सी. आपूर्ति विफल होने के मामले में बैटरी बेक अप उपलब्ध है। सामान्यतः, बैटरी चार्जर फ्लोट मोड (या स्वचालित मोड यदि उपलब्ध है) पर रखना चाहिए। कुछ अवधि के लिए चार्जर को बुस्ट ऑप्रेसन रखना चाहिए, यदि तेज चार्जिंग की आवश्यकता हो, तो बैटरी की आउट पुट वोल्टेज रखें।
5. सी.टी., एन.सी.टी., पी.टी., यार्ड लाइट के हॉट प्वाइंट्स आदि में किसी तेल रिसाव की जांच के लिए शिफ्ट के दौरान यार्ड का दौरा करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि एस.ए./ए.एस.एस.ए. द्वारा दर्ज की गई कमियों से संबंधित उपरोक्त खराबी को तुरंत ठीक किया गया है।
6. 11 के.वी. वी.सी.बी. के संचालन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि वी.सी.बी. नियंत्रण कक्ष में टी.एन.सी. (ट्रिप, नॉर्मल, क्लॉज) स्विच के साथ संचालित है। यदि कोई टी.एन.सी. स्विच खराब पाया जाता है, तो प्राथमिकता आधार पर संबंधित सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी के माध्यम से बदला जाए।
7. एस.ए./ए.एस.एस.ए. द्वारा प्रत्येक घंटे में सभी बिजली ट्रांसफार्मरों की वाईडिंग और तेल तापमान को सुनिश्चित करें। परिसर में ट्रांसफार्मर नियंत्रण पैनल में स्थापित वाईडिंग तापमान पैमाने और तेल तापमान पैमाने पर प्रदर्शित तापमान को आर.टी.सी.सी. पैनल में स्थापित मीटर पर प्रदर्शित तापमान के साथ मिलान करना चाहिए।
8. यह सुनिश्चित करें कि एस.ए./ए.एस.एस.ए. द्वारा प्रत्येक घंटे में लॉग शीट डाटा यानि वोल्टेज, सभी 11 के.वी. फीडरों और पावर ट्रांसफार्मरों का लोड, डी.सी. बैटरी वोल्टेज, मौसम स्थिति, पावर ट्रांसफार्मर का तापमान और पावर ट्रांसफार्मर की टैप की स्थिति आदि को दर्ज की गई है।

9. यदि पावर ट्रांसफार्मर मेन और ओ.एल.टी.सी. टैंक में निम्न तेल स्तर है, तो इसका तुरंत समाधान करना चाहिए।
10. सभी अर्थ पीटस (गड्डों) को नियमित रूप से पानी से भरना सुनिश्चित करें।
11. यह सुनिश्चित करें कि नियंत्रण कक्ष और स्विच यार्ड में स्थापित सभी पैनल पर धूल व जाले नहीं हैं। छिपकली/चूहे और बरसाती पानी आदि के कारण अनावश्यक ट्रिपिंग से बचने के लिए प्रत्येक पैनल को एम.सील या केबल ग्लैंड की उचित फिटिंग के माध्यम से केबल के छोर सील होने चाहिए।
12. डिफरेंशियल रिले के संचालन के कारण ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग के मामले में, ट्रांसफार्मर चार्ज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चूंकि डिफरेंशियल रिले ट्रांसफार्मर के अंदरूनी खराबी को दर्शाती है। एच.वी.एंड एल.वी. एल.ए. सहित एच.वी. एल.वी. के बीच क्षेत्र का तुरंत निरीक्षण करें और इसकी उचित जांच के लिए एम.एंड पी. टीम को बुलाएं।
13. आर.ई.एफ. (एच.वी. या एल.वी.) रिले के संचालन के कारण ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग के मामले में ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं करना चाहिए, चूंकि यह रिले ट्रांसफार्मर के अंदरूनी खराबी को दर्शाती है। एच.वी.एंड एल.वी. एल.ए. सहित एच.वी. एल.वी. के बीच क्षेत्र का निरीक्षण करें; एम.एंड पी. टीम द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने तक ट्रांसफार्मर को चार्ज करने की प्रयास नहीं करना चाहिए।
14. आंतरिक खराबी के कारण सामान्यतः गैसों के उत्पादन के मामले में मेन बंकहॉलज रिले और ओ. एल.टी.सी. बंकहॉलज रिले का संचालन होता है। बंकहॉलज रिले के संचालन के मामले में ट्रांसफार्मर को तब तक चार्ज करने का प्रयास नहीं करना होता, जब तक कि एस.डी.ओ./ऑप्रेसन या एम.एंड पी. विंग द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाए। ट्रांसफार्मर में कम तेल के कारण भी बंकहॉलज रिले कार्य करती है। कंजरवेटर टैंक पर स्थापित प्रिसमेटिक ऑयल गेज और एम.ओ.एल.जी. के माध्यम से तेल की जांच करनी चाहिए। यदि तेल का स्तर कम पाया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में तुरंत तेल के स्तर को ऊपर करने के लिए उचित कार्यवाही हेतु इसकी सूचना सब-स्टेशन अटेंडेंट प्रभारी को सूचित करें।
15. पावर ट्रांसफार्मर में आंतरिक खराबी के दौरान बने आंतरिक टैंक प्रेशर छोड़ने के लिए मेन पी.आर. वी. (प्रेशर रिलीफ वॉल्व) और ओ.एल.टी.सी. पी.आर.वी. का उपयोग किया जाता है। एस.डी.ओ./परिचालन या एम. एंड पी. विंग द्वारा अनुमति नहीं मिलने तक कोई प्रयास नहीं करना चाहिए।
16. ट्रांसफार्मर के कूलिंग फैन (यदि ट्रांसफार्मर पर प्रावधान है) की स्थिति को नियमित तौर पर, विशेष रूप से अधिकतम लोड घंटे के दौरान जांच करें। फैन स्वचालित मोड में चलाया जाना चाहिए।
17. यदि वाईडिंग तापमान ट्रिप (डब्ल्यू टी.टी.) रिले के कारण ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग होता है, तो तुरंत अपने हाथ का प्रयोग करके ट्रांसफार्मर की बॉडी का तापमान जांचना चाहिए। जब तक एस.डी.ओ. परिचालन द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। ओवरलोडिंग और/या कूलिंग सिस्टम के विफल होने के कारण ट्रांसफार्मर के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती

- है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वाईडिंग तापमान और कूलिंग फैन संचालन की निगरानी रखें। कूलिंग सिस्टम के विफल होने के मामले में, सब-स्टेशन अटेडेंट प्रभारी को स्थिति की सूचना दें।
18. वार्षिक रख-रखाव के दौरान, पावर ट्रांसफार्मर के ऊपरी भाग पर प्रदान की गई तापमान गेज की सभी तेल पॉकेट्स की जांच करते हुए यह सुनिश्चित करें कि इन सभी में तेल भरा हुआ है। यदि ऐसा नहीं है, तो आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।
 19. ट्रांसफार्मर के ओ.एल.टी.सी. में फिजिकल टैप स्थिति के साथ आर.टी.सी.सी. पैनल पर स्थापित टैप प्रदर्शक मीटर पर यह टैप प्रदर्शित होनी चाहिए। इसकी नियमित जांच की जानी चाहिए।
 20. यह सुनिश्चित करें कि किसी भी लाइन ट्रिपिंग, प्रत्येक खराबी यानि ओवर करंट और अर्थ खराबी के लॉग विवरण को दर्ज करें।
 21. यह सुनिश्चित करें कि ब्रेकर के बंद होने की स्थिति सुनिश्चित होने के बाद ही आईसोलेटर को खोला जाए।
 22. एस.ए./ए.एस.एस.ए. द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आईसोलेटर उचित प्रकार से बंद हैं। जब कभी भी आईसोलेटर बंद हो जाता है, तो आईसोलेटर पर आर्क/हॉट स्पॉट के निकलने को नोट करें और इसे ठीक करने का कार्य करें।
 23. पावर ट्रांसफार्मर की किसी भी ट्रिपिंग के दौरान, एस.ए./ए.एस.एस.ए. द्वारा प्रत्येक रिले के संचालन की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी रिले के संचालन के मामले में, लॉग शीट में सभी खराबी के विवरण को दर्ज करें। एस.ए./ए.एस.एस.ए. द्वारा उपरोक्त रिकॉर्डिंग और रिले संचालन की जांच सुनिश्चित की जाए।
 24. प्रत्येक ट्रांसफार्मर की सिलिका जैल की जांच करें और यदि आवश्यक है, तो तुरंत आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
 25. यह सुनिश्चित करें कि ट्रांसफार्मर ब्रिथिंग कार्यवाही के दौरान धूल कण अवरोध से उचित तेल स्तर की ए.एस.एस.ए. द्वारा सिलिका जैल पोट के नीचे ऑयल कप की जांच की जानी चाहिए।
 26. यह सुनिश्चित करें कि जब रख-रखाव/शट डाउन के दौरान स्विच यार्ड में कार्य कर रहे हो, तो उस बे ब्रेकर संचालन को लोकल मोड में रखना चाहिए।
 27. एम.एस. प्लैट के बीच प्रदान की गई कनेक्टिविटी के माध्यम से अर्थ एन.सी.टी. को इसके उचित संपर्क के लिए नियमित जांच करना आवश्यक है।
 28. एस.ए./ए.एस. द्वारा रिसाव करंट विशेषतौर पर बरसात के मौसम में सहित सर्ज काउंटर के सही होने के जांच की जाए और 15 दिन में सर्ज काउंटर की रीडिंग को रिकॉर्ड करना चाहिए और इसे रिकॉर्ड में भी रखना सुनिश्चित करें।
 29. यह सुनिश्चित करें कि ओ.एंड एम. कर्मचारी को जब पी.टी.डब्ल्यू जारी किया जाए, तो ऑप्रेटर/ए.एस.ए. द्वारा पी.टी. डब्ल्यू पर निम्नलिखित दर्ज किया जाए :-
(1) वी.सी.बी. खुली है और ट्राली को बाहर निकाल दिया है।

(2) तारीख के साथ हस्ताक्षर सहित पी.टी.डब्ल्यू की तारीख और समय।

(3) कार्य शुरू करने से पहले अस्थाई अर्थ किया जाना चाहिए।

पी.टी डब्ल्यू को निरस्त करने से पहले केवल प्राधिकृत अधिकारी से उचित अनुमति प्रमाण-पत्र दर्ज किया जाए।

30. यह सुनिश्चित करें कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सब-स्टेशन में कोई संचालन नहीं किया जाए।
31. यह सुनिश्चित करें कि यार्ड के साथ-साथ नियंत्रण कक्ष में खाई या नाली ढकी हो।
32. यह सुनिश्चित करें कि यार्ड में उचित बजरी हो और स्टील के ढांचे पर रंग किया गया हो।
33. यह सुनिश्चित करें कि सब-स्टेशन में प्रदान किए गए जल निकासी पंप ठीक कार्य कर रहे हैं।
34. यह सुनिश्चित करें कि संबंधित एस.डी.ओ./परिचालन द्वारा निर्धारित/निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर नियंत्रण कक्ष या स्विच यार्ड के किसी क्षेत्र में कबाड़/ज्वलनशील सामग्री नहीं होनी चाहिए।
35. यह सुनिश्चित करें कि निगम के नियमानुसार आग बुझाने के यंत्र (अग्निशामक) प्रदान किए गए हैं और ये चालू हालत में हैं। अग्निशामक नियमित रूप से भरे हुए हों और प्रत्येक अग्निशामक पर वैधता स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।
36. ट्रांसफार्मर के शैड्यूल रख-रखाव के दौरान, सभी सहायक रिले यानि बंचहॉलज अलॉर्म (बी.ए.), बंचहॉलज ट्रिप (बी.टी.) की तेल बाहर निकालकर जांच की जानी चाहिए। पी.आर.वी. ट्रिप की कार्यप्रणाली की जांच की जाए।
37. आउटगोईंग (ओ.जी.) फीडरों पर दर्ज की गई खपत का इनकमर मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत के साथ प्रतिदिन मिलान करना चाहिए। इनकमर मीटर की खपत इनकमर पैनल पर स्थापित मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत के बराबर होनी चाहिए और सभी आउटगोईंग फीडर मीटरों की दर्ज की गई खपत के जोड़ के बराबर होनी चाहिए। यदि कोई असामान्य अंतर होता है, तो इसके बारे में एस.डी.ओ. 'परिचालन' और एम.एंड पी. विंग को सूचित करें।
38. यह सुनिश्चित करें कि निगम के निर्देशानुसार "मीटर रीडिंग एप" में सब-स्टेशन से संबंधित डाटा की प्रविष्टि की जाए।
39. लोड फ्लो प्रबन्धन और आवधिक बिजली कटौती करने के लिए, यदि आवश्यक है, तो ए.बी.टी. सैल के साथ समन्वय करें।
40. यह सुनिश्चित करें कि ए.पी.एफ.सी. पैनल कार्य कर रहा है।
41. यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध है।
42. एम.एंड पी. विंग की सहायता से रिले समन्वय कार्य करना चाहिए ताकि 11 के.वी. खराबी उच्च वोल्टेज स्तर की ओर नहीं पहुंचे।
43. यह सुनिश्चित करें कि स्विच हाउस भवन पर फीडिंग स्रोत के साथ-साथ 33 के.वी. सब-स्टेशन की एस.एल.डी. चिपकाई गई है।

44. सभी फीडिंग स्रोत/ओ.एंड एम. कर्मचारी/आवश्यक सेवा के सम्पर्क नम्बर सहित दूरभाष निर्देशिका (टेलीफोन डायरेक्टरी) रखनी चाहिए।
45. अर्थ स्टिक, मेगर, अर्थ टेस्टर, सुरक्षा चार्ट, न्यूनतम और अधिकतम लोड चार्ट और फर्नीचर सहित सभी टी.एंड पी. उचित स्थान पर उपलब्ध होने चाहिए और सही कार्य दशा में होने चाहिए।
46. सब-स्टेशन के रख-रखाव के दौरान किसी हॉट स्पॉट से बचने के लिए और सामान्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए और सब-स्टेशन में घास व झाड़ियों को हटाते समय सभी कनैक्शन सही तरीके से कसे होने चाहिए।
47. स्थापित क्षमता फीडिंग स्रोत के साथ-साथ मौजूदा स्थापित क्षमता से लोड वृद्धि के मिलान की निगरानी करनी चाहिए और भावी लोड वृद्धि की संभावना के अनुसार, जहां आवश्यकता हो, वहां आवश्यकताओं को प्रस्तुत करें।
48. ट्रांसमिशन प्रणाली पर कार्य करते हुए सभी सुरक्षा सावधानी रखनी चाहिए/और बिजली से दूरी बनाए रखें।
49. समय-सीमा के अनुसार सब-स्टेशन पर स्थापित सभी बिजली उपकरणों के लिए निगम के रख-रखाव शैड्यूल की पालना करनी चाहिए।
50. शिफ्ट के दौरान सब-स्टेशन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। किसी आपात स्थिति के मामले में सब-स्टेशन छोड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।
51. सेलेक्टर स्विच के माध्यम से सभी थ्री फेज पर वोल्टेज और करंट की जांच करनी चाहिए और लॉग शीट पर टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए। किसी फेज पर ऑफ लोड के माध्यम से प्रत्येक ट्रिपिंग के मामले में कार्य किया जाना चाहिए और फीडर प्रभारी को तुरंत सूचित करना चाहिए, क्योंकि यह जंपर या कंडक्टर को तोड़ सकता है। गलत अर्थिंग के कारण कंडक्टर टूटने से ट्रिप के कारण फीडर काम करना बंद कर देगा और बिजली दुर्घटना हो सकती है।
52. वह अपने नियंत्रण अधिकारी/कर्मचारी को सब-स्टेशन पैरामीटर से संबंधित मासिक रिपोर्ट में अपनी उपलब्धि और लंबित कार्यों को दर्ज करेगा/करेगी। अपनी रिपोर्ट में सब-स्टेशन उपकरणों के ठीक तरह से कार्य करने और सुरक्षा के लिए आवश्यक आकस्मिक कार्यों को भी प्रस्तुत करेगा।

नोट :- तकनीकी कर्मचारियों के कार्य और जिम्मेदारियां विषय का हिंदी अनुवाद मात्र बिजली कर्मियों को सरल भाषा में समझाने हेतु है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हिंदी में अनुवादित संस्करण मान्य नहीं होगा। अंग्रेजी व हिंदी संस्करण के बीच विरोधाभास, किसी अंतर के मामले में, व्याख्या और कानूनी पहलुओं के लिए अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।